छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा–अम्बिकापुर
(कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर अम्बिकापुर)
//संक्षिप्त संशोधित निविदा आमंत्रण सूचना//

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अम्बिकापुर में वाहन स्टैण्ड चलाने के इच्छुक एवं सक्षम निविदाकर्ता से बंद लिफाफा में शर्तानुसार निविदा निर्धारित प्रपत्र अनुसंलग्नक–ए में आमंत्रित है। वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्थान उक्त व्यवसाय संचालन हेतु निविदा के प्रारूप एवं शर्तों के विस्तृत जानकारी कार्यालय नोटिस बोर्ड पर या जिला न्यायालय अम्बिकापुर के वेबसाईट–https://surguja.dcourts.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

निविदा जमा करने की प्रारंभिक तिथि– 27.10.2025

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि – 10.11.2025

निविदा खोले जाने की तिथि – 11.11.2025

निविदा खोले जाने का स्थान – अध्यक्ष, समिति या वरिष्ठ न्यायाधीश जिला न्यायालय परिसर अम्बिकापुर।

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला शाखा अम्बिकापुर छ0ग0

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा–अम्बिकापुर
(कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर अम्बिकापुर)
//संशोधित निविदा आमंत्रण सूचना//

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अम्बिकापुर में वाहन स्टैण्ड चलाने के इच्छुक एवं सक्षम निविदाकर्ता से बंद लिफाफा में निम्न शर्तानुसार निविदा निर्धारित प्रपत्र अनुसंलग्नक–1 में आमंत्रित है–

निविदा जमा करने की प्रारंभिक तिथि– 27.10.2025

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि – 10.11.2025

निविदा खोले जाने की तिथि – 11.11.2025

निविदा खोले जाने का स्थान – अध्यक्ष, समिति या वरिष्ठ न्यायाधीश जिला न्यायालय परिसर अम्बिकापुर।

(अ) निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1. निविदा दिनांक–27.10.2025 से 10.11.2025 तक रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या स्वयं उपस्थित होकर (हमदस्त) के माध्यम से सीलबंद लिफाफा में कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर को प्रेषित करना होगा।
2. उपरोक्त निविदा इस विज्ञापन/आमंत्रण सूचना के साथ संलग्न अनुसंलग्नक–1 के निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जावे।
3. निविदा के बंद लिफाफा में संलग्न दस्तावेज का विवरण अभिलिखित करना होगा।
4. निविदाकर्ता को वाहन स्टैण्ड चलाने के लिए बोली राशि (मासिक लायसेंस शुल्क/किराया) का उल्लेख करना होगा।
5. उपरोक्त बोली राशि का 25 प्रतिशत बयाना राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से जमा करना होगा जो **अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा अम्बिकापुर** के पक्ष में तैयार किया जावेगा।

6. उपरोक्त निविदा निर्धारित समय के भीतर सीलबंद लिफाफा में बयाना राशि एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र (अनुसूची-1) जमा करना होगा।

7. अंतिम तिथि के बाद या बयाना राशि के बिना प्राप्त आवेदन अस्वीकार कर दिए जायेंगे तथा इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

(ब) निविदा खोले जाने की प्रक्रिया

1. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि समाप्त होने पर प्राप्त सभी बंद निविदाओं को अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा अम्बिकापुर के द्वारा अगले कार्य दिवस में समिति या उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष सभी सीलबंद लिफाफे में प्राप्त निविदाओं को सभी आवेदकों/निविदाकारों (या आवेदकों द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति) की उपस्थिति में खोला जावेगा।

2. सभी आवेदन पत्रों को खोलने के पश्चात् जिस आवेदक ने सबसे अधिक बोली लगायी होगी उसे समिति के अध्यक्ष, या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा तथा उस आवेदक/निविदाकार को वाहन स्टैण्ड चलाने का कार्य सौंपा जायेगा शेष आवेदकगण को बयाना राशि उनसे पावती प्राप्त कर के यथाशीघ्र 07 दिवस के भीतर वापस कर दी जायेगी।

3. सफल बोलीदाता को बोली राशि का शेष 75 प्रतिशत राशि अगले 07 कार्य दिवसों में संघ के अध्यक्ष के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से जमा करना होगा, अन्यथा बयाना राशि वापस ले ली जायेगी, आवेदन के साथ जमा की गई राशि जप्त कर ली जायेगी।

4. सफल बोलीदाता को 07 दिवस में पूरी बोली राशि जमा करने के बाद ही सायकल स्टैण्ड चलाने का काम दिया जायेगा।

(स) सायकल स्टैण्ड संचालन की प्रक्रिया एवं शर्तें

1. समिति के अनुमोदन के पश्चात संघ के अध्यक्ष और सफल बोलीदाता के द्वारा एक करारनामा इस शर्त के साथ निष्पादित कराना होगा कि

अनुबंध में उल्लेखित अवधि पूर्ण होने के पश्चात अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा।

2. अनुबंध अवधि अनुबंध प्रारंभ करने की पहली तारीख से 01 वर्ष की होगी। अनुबंध की अवधि प्रधान जिला न्यायाधीश/समिति के अनुमोदन से वार्षिक आधार पर 05 प्रतिशत राशि वृद्धि कर बढ़ायी जा सकेगी।

3. प्रधान जिला न्यायाधीश को किसी भी समय बिना कोई पूर्व सूचना दिये वाहन स्टैण्ड चलाने की अनुबंध समाप्त करने की अधिकार होगा।

4. वाहन स्टैण्ड संचालक किसी भी समय 45 दिन कि नोटिस देकर वाहन स्टैण्ड चलाने की अनुबंध को रद्द कर सकता है, ऐसी स्थिति में अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा अम्बिकापुर के द्वारा वाहन स्टैण्ड चलाने के संबंध में कोई अग्रिम राशि शेष हो तो उसे लौटा दिया जायेगा।

5. वाहन स्टैण्ड संचालक को अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा अम्बिकापुर के नाम पर युनियन के बैंक खाते में 02 माह का लायसेंस शुल्क/किराया अग्रिम रूप से जमा करना होगा।

6. वाहन स्टैण्ड संचालक को प्रत्येक माह के 10 तारीख तक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा अम्बिकापुर के नाम पर युनियन के बैंक खाते में मासिक किराया राशि जमा करना होगा।

7. मासिक किराया राशि जमा करने में विफल रहते हैं तो अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा अम्बिकापुर के द्वारा वाहन स्टैण्ड संचालक को अनुबंध समाप्त करने का नोटिस जारी करेगा।

8. सफल बोलीदाता/वाहन स्टैण्ड संचालक को स्टैण्ड में खड़ी वाहनों की सुरक्षा करनी होगी। वाहनों को किसी तरह नुकसान कि स्थिति में वह जिम्मेदार होगा।

9. न्यायालय परिसर में उपस्थित होने वाले पक्षकारों के वाहनों से शुल्क निम्नलिखित निर्धारित दर पर वसूल किया जाना है।

सायकल - 05 रूपये प्रतिदिन
मोटर सायकल - 10 रूपये प्रतिदिन
चारपहिया वाहन - 20 रूपये प्रतिदिन

उपरोक्तानुसार वाहन शुल्क वसूल करने का दायित्व वाहन स्टैण्ड संचालक का होगा।

10. सायकल स्टैण्ड संचालक अपने सहायकों को वर्दी उपलब्ध करायेगा तथा अपने कर्मचारियों का व्यक्तिगत विवरण संघ को देगा।

11. सायकल स्टैण्ड संचालक विद्युत, पानी, फर्नीचर एवं स्वयं के लिये आवश्यक सुविधाओं के सारे शुल्क स्वयं वहन करेगा।

12. सायकल स्टैण्ड संचालक न्यायालय परिसर में कोई भी ऐसा कृत्य या आचरण नहीं करेगा जो न्यायालय के गरिमा के प्रतिकूल हो (जैसे-धुम्रपान, नशे, ताशपत्ते, जुआ खेलने या खेलाने या कोई अन्य आपराधिक कार्य नहीं करेगा)

13. सायकल स्टैण्ड संचालक को नियत स्थान/परिधि में व्यवसाय संचालित करना हागा।

उपरोक्त निविदा के प्रारूप एवं शर्तों के विस्तृत जानकारी कार्यालय नोटिस बोर्ड पर या जिला न्यायालय अम्बिकापुर के वेबसाईट-https://surguja.dcourts.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

संलग्न - निविदा/आवेदन का प्रारूप अनुसंलग्नक-1

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला शाखा अम्बिकापुर छ0ग0

ANNEXURE-1

FORMAT OF APPLICATION FORM

1. APPLICATION FOR PERMISSION

(1) RUNNING CANTEEN IN - District Court/Court Premises
(2) RUNNING PHOTOCOPY MACHINE - District Court/Court Premises
(3) RUNNING CYCLE STAND - District Court/Court Premises
(4) PUBLIC UTILITY SERVICE CENTER - District Court/Court Premises
* Strike off which is inapplicable.

2. Name of the Applicant -

3. Full Address -

4. Proof of Identity -

(Self attested photocopy must be attached)

5. Bid Amount of Tender -

(monthly licence fees/rent)

* Please enclose the D.D./Bankers Cheque of 25% of Bid amount as earnest money in favour of President of Zila Nyayik Karmachari Sangh. The earnest money shall be immediately returned after opening of tenders to all applicants except the Successful Bidder.

6. Demand Draft/Bankers Cheque No. and date -

7. Name of Issuing Bank & Branch -.....

Note - All the columns of Application form shall be duly and neatly filled in by the applicant failing which Application will be rejected. The applicant shall enclose the self attested copy of valid Identity proof and also the earnest money by way of Demand Draft/Bankers Cheque as mentioned above at serial no. 6 and 7, failing which the Application will be rejected.

Declaration

I Son/Daughter/Wife of, hereby undertake all information submitted above by me is true, and I shall abide by all conditions mentioned in Rules pertaining to giving Canteen, Photocopying, Cycle Stand and Public Utility Service Center in District Courts, 2025, and at any point of time if it is observed that I have submitted any false information, or I violate any clause of the above Rules or omitted to act as required, my contract will be cancelled without any prior notice.

Signature
Name

By order of Hon'ble the High Court

06/11/25.

(K. Vinod Kujur)
Registrar General